जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति | दिनांक 04.06.2024

थाना बाबरी पुलिस द्वारा ग्राम बाबरी में हुई युवक की हत्या का सफल अनावरण करते हुये 01 हत्याभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल खुरपा बरामदः-

दिनांक 01.06.2024 को वादी श्री जनेशर पुत्र श्री मांगेराम निवासी मौहल्ला वाल्मीकि ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली ने अपने भाई **पंचम** की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर शव को शमशान घाट पर फेंक देने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सूचना दी गयी थी। उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करते हुये, मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना बाबरी को घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 03.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम बाबरी में हुई युवक की हत्या का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त बालेश्वर उर्फ बालेश पुत्र मांगेराम निवासी मौहल्ला वाल्मीकि ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली (मृतक का भाई) को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल खुरपा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तारशुदा अभियुक्त बालेश्वर उर्फ बालेश ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 31.05.2024 को जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरा भाई पंचम घर पर मौजूद था। मैने पंचम से अपने रुपये के बारे में पूछा तो वह जानकारी होने से मना करने लगा और पंचम मेरे रुपयो से शराब लेकर आया और पीने लगा मैने पंचम का विरोध किया तो पंचम ने मुझे नीचे गिरा दिया जिससे मुझे चोट लग गयी और फिर मैने पास में पडे खुरपे से पंचम के सिर पर मार दिया। पंचम के सिर से खून निकलने लगा और मौके पर ही गिर गया, पंचम द्वारा लायी गयी बाकी बची शराब को मैने पी लिया। जब वह काफी देर तक नहीं उठा तो मुझे शक हुआ और मैने उसे हिला डुलाकर देखा तो उसके सिर से काफी खून बहकर चारपाई पर रखे कपडों में लग गया था जिससे में काफी डर गया था। मैने अपने लकडी के रेहडे में पंचम को रखकर शमशान घाट में फेंक दिया तथा खुरपे को भी वहीं पर झाड़ियो में फैंक दिया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.बालेश्वर उर्फ बालेश पुत्र मांगेराम निवासी मौहल्ला वाल्मीकि ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद खुरपा (आलाकत्ल)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद थाना बाबरी जनपद शामली।

2.व0उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

3.का0 हातम सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

4.का0 सचिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 1,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2007 में अभियुक्त मनसाद पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 290/2007 धारा 147/323/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.06.2024 को माननीय न्यायालय CJM शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त-

1.मनसाद पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI